कार्यालय जिला पंचायत पन्ना (म.प्र.)

क्रमांक / 3445 / पंचा.प्रको. / 2012 पन्ना, दिनांक 8-11-2012

पंचायत सचिव के नियोजन हेतु विज्ञापन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.11.2012

म.प्रशासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क/एफ/1–9/2012/22/पं–1/भोपाल, दिनांक 03.10.2012 अनुसार पन्ना, जिला में ग्राम पंचायत सचिवों के पद पूर्ति अनु.जाति/अनु. जनजाति उम्मीदवारों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना को संबोधित किया जावे नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभाग को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। पदों का विवरण रिक्तियों की संभावित वर्गवार संख्या शैक्षणिक योग्यताएं अर्हताएं निम्नानुसार हैं:–

पंचायत सचिव का रोस्टर अनुसार बैकलाग पद

पंचायत सचिव पद हेतु रोस्टर अनुसार आरक्षण

क0	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1.	03	02	05	03	01	04
योग	03	02	05	03	01	04
भूतपूर्व सैनिक	–	–	–	–	–	–
निःशक्त	–	–	–	–	–	–

कुल विज्ञापित पदों की संख्याः– 09 (नौ)

5.शैक्षणिक योग्यताः–अ. उम्मीदवार मान्यमा प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण (10+2) प्रणाली (उत्तीर्ण कुल प्राप्तांक का 65 प्रतिशत स्नातक डिग्री के कुल प्राप्तांक का 10 प्रतिशत स्नातकोत्तर डिग्री में कुल प्राप्तांक का 10 प्रतिशत तथा कम्प्यूटर हेतु 15 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जावेगी।) ब. आवेदक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा मुक्त विश्वविद्यालय का कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा/(कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण) होना अनिवार्य है।

6.आयु सीमाः– अभ्यर्थी ने 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो और रिक्त पद के लिये जारी सूचना के प्रकाशन की तारीख के ठीक बाव आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 35 वर्ष से अधिक न हो। अनु.जाति/अनु. जनजाति/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को शासन के नियमों तथा आदेश के अनुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी।

7. मानदेय/वेतनमान–मानदेय रू. 1600 नियत (प्रतिमाह) और रू 250/–यात्रा भत्ता।

आवेदन पत्र 1. ग्राम पंचायत सचिव के पद के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है आवेदन टंकित अथवा स्वयं के हाथ का लिखा हुआ प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयन की स्थिति में आवेदक को आहूत कर सत्यापित समुचित अभिलेख का मूल अभिलेख से मिलान किया जावेगा।आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो लगाना अनिवार्य है। 2. उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो संलग्न करना आवश्यक है।3.निवास/जाति प्रमाण पत्र अनु. जाति/अनु.जनजाति से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। 4. निर्धारित आवेदन पत्र में नियत स्थान पर पासपोर्ट साईज का फोटो तिथि अंकित करते हुये जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो चस्पा करना होगा।5.शैक्षणिक योग्यता एवं जन्म प्रमाण पत्र में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/हायर सेकेण्ड्री (10+2) जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो। 6. भूतपूर्व सैनिक होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र की प्रति जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो 7. निःशक्त अभ्यर्थी को निःशक्तता का प्रमाण पत्र की प्रति जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न की जाय। पूर्ण आवेदन पत्र दिनांक 20.11..2012 तक कार्यालयीन अवधि में (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) सायं 5.00 बजे तक अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कर सकेंगे/प्राप्त हो जाना चाहिए। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।9.चयन के संबंध में आवेदक द्वारा गलत जानकारी व प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जावेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगीं।

10.वैवाहिक स्थितिः–1.कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो । वे नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। 2. वैवाहिक अभ्यर्थियों की स्थिति पुरूष वर्ग के लिये आयु 21 वर्ष एवं महिलाओं के लिये 18 वर्ष की आयु में विवाह हुएउम्मीदवारों को पात्र माना जावेगा । ऐसे उम्मीदवार जो विवाह के लिये नियत आयु सीमा के पूर्व विवाह किये होंगे पात्र नहीं माना जावेगा।10 निवासी आवेदक को पन्ना जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये। तथा वह पन्ना जिले में ही रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकेगा। 11. आवेदन पत्रों को स्वीकार / अस्वीकार किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना/ चयन सिमति का निर्णय अंतिम होगा। 12. रिक्त पदों पर आवश्यकता अनुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी। 13 उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/आदेश लागू होंगे। 14. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र जिला पंचायत पन्ना में जमा किये जावेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्राम पंचायत सचिव के पद के लिये
आवेदन पत्र का प्रारूप

सत्यापित फोटो चस्पा करें

1. नाम मय पिता/पति..........
2. जन्मतिथि अंकों में ....
   शब्दों में..........
3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं प्रप्तांक का प्रतिशत..........
4. अन्य योग्यता..........
5. कम्प्यूटर योग्यता..........
6. जाति/वर्ग..........
7. विवाहित/अविवाहित..........विवाह का दिनांक..........
8. यदि विवाहित हों तो बच्चों की संख्या..........
   तथा सबसे छोटै बच्चे की जन्म तिथि..........
9. पत्राचार का पता..........
   पिन कोड..........
10. स्थायी पता..........
    पिन कोड..........

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त समस्त विवरण मेरे संज्ञान के अनुसार सत्य है। उपरोक्त विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा गलत पाये जाने की सथिति में मेरी उम्मीदवारी निरस्त समझी जावेगी। जो मुझे बिना शर्त मान्य होगीं

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम..........
दूरभाष/मो0नं..........

टीपः– आवेदन पत्र में दर्ज कोई भी असत्य जानकारी ग्राम पंचायत सचिव के पद हेतु अपात्रता होगी।

E/2012/PPKST/lett.doc

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, पन्ना